

२५/१०/२५

पत्तावली पेरा दूर। आधि. वादी उप। आधि.
वादी द्वारा ज.प.ल. आदेश २३ दिनांक २.१०.०८ का
पेरा कर ज.प. वाद प्रस्तुत करने के अधिकार
को सुरक्षित रखते हुए वस अंतरण को वही स्तर
पर बिंदी भिजे जाने का विवेदन किया। ज.प.
वादी के ज.प. वाद पेरा करने के अधिकार को
सुरक्षित रखते हुए वस अंतरण को वही स्तर
पर ही भिजा जाता है। पत्तावली के साथ अंतरण
होकर चलाए से कम ही।

निर्दिष्ट क्रम ई.प.ल. अंतरण २५/१०/२५

(निर्दिष्ट)

